राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प ग्राम पंचायत महियांवाली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 021/2011

1. विक्रमजीत उर्फ विक्रम पुत्र श्री नानूराम जाति जाट निवासी 10 एम.एल. तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. साहबराम पुत्र श्री नानूराम
2. देवीलाल पुत्र श्री नानूराम
3. बोगादेवी पत्नि श्री नानूराम
4. बालादेवी पुत्री श्री नानूराम
5. मोहरादेवी पुत्री श्री नानूराम
6. शान्तिदेवी पुत्री श्री नूनराम

} जाति जाट निवासी 10 एम.एल. तहसील व व जिला श्रीगंगानगर।

7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 183 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता — वादी
2. श्री वेद प्रकाश अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 ता 2
3. प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एक पक्षीय दिनांक 26.11.2012
4. प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के विरूद्ध एक पक्षीय दिनांक 15.01.2014

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 18.05.2017

वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 183, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी एवम् प्रतिवादी के नाम वाके चक 10 एम.एल. के खाता संख्या 48/34 के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नबर 1 ता 25 में 6.197 हैक्टर आराजी खातेदारी है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/7 हिससा खातेदारी मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 कागजात माल है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 संलग्ल वादपत्र है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का मुताबिक जमाबन्दी 1/7 हिस्सा बनता है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 नें मौखिक रूप से अपनें हक का परित्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 I 3 के पक्ष में बहिस्सा बराबर कर दिया है। इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 उक्त आराजी में कोई भी हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है। प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के द्वारा अपना अपना हिस्सा परित्याग करने के बाद वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 1/4 हिस्सा यानि प्रत्येक का 1.551 हैक्टर हिस्सा बनता है। जिसका वादी हर प्रकार से मालिक व हकदार है लेकिन प्रतिवादीगण 1 व 2 नें वादी की 1.302 हैक्टर आराजी पर नाजायज तौर से कब्जा कर लिया है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 समस्त कृषि भूमि का बिना किसी प्रकार से बंटवारा करवाये अच्छी से अच्छी कृषि भूमि को किसी प्रकार से अन्य को मुन्तकिल करनें के फिराक में है तथा वादी के हिस्से पर काबिज 1.302 हैक्टर आराजी को मुन्तकिल करना चाहता है। तथ्झा वादी को उसके हक व अधिकारों से वंचित करनें के उद्देश से उक्त कृषि भूमि में येन–केन प्रकेरण भौतिक रूप से परिवर्तन करना चाहता है तथा उक्त कृषि भूमि की उपजाउ क्षमता को नष्ट करना चाहता है।

वादी नें प्रतिवादीगण 1 व 2 को दिनांक 15.01.2011 को कहा कि तुम मेरे हिस्सा की कृषि भूमि को छोड़ दो तथा हिस्सानुसार अच्छी से अच्छी खराब से खराब कृषि भूमि का बंटवारा कर लो लेकिन इस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्पष्ट इन्कार हो गये और धमकी दी है कि हमउ क्त कृषि भूमि का कब्जा आपको नहीं देगे तथा उक्त कृषि भूमि को अन्य किसी को रहन बैय, अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल कर देगे तथा इसकी उपजाउ क्षमता को भी नष्ट कर देगें। यही वादी का वाद कारण है।

अतः वाद वादी बहक खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

1. मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2063–2067 वाके चक 10 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1 ता 25 में 6.197 हैक्टर आराजी में से 1/7 हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण का बनता है लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 के द्वारा अपनें हिस्से का परित्याग कर देने से शेष प्रतिवादीगण व वादी का 1/4 हिस्सा बनता है। जिसमें से वादी के पास 0.253 हैक्टर कृषि भूमि कब्जा कास्त की है शेष कृषि भूमि 1.302 हैक्टर कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 नें नाजायज कब्जा कर रखा है पर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाया जावे।
2. यह कि प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से को भूमि से बेदखल कर अच्छी से अच्छी व खराब से खराब आराजी का हिस्सानुसार बंटवारा किया जावे। तथा प्रतिवादीगण 4 ता 6 के हिस्से का परित्याग करनें से 1/4 हिस्से की तदानुसार किले वाईज खातेदारी घोषणा की जावे।
3. अन्य कोई अनुतोष जो कि हमारे हित में हो दिया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 ता 2 की और से श्री वेद प्रकाश अधिवक्ता उपस्थित आये तथा प्रतिवादी संख्या 3 विधिवत् तामिल होनें के उपरान्त भी उपस्थित नही आनें पर उनके विरूद्ध दिनांक 26.11.2012 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया परन्तु उपस्थित नहीं आनें पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 15.01.2014 को अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 4 से 6 नें मौखिक रूप से हक का परित्याग वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में बहिस्सा बराबर बराबर कर दिया है एवम् प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 के द्वारा अपना अपना हिस्सा परित्याग करनें के बाद वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 1/4 हिस्सा यानि प्रत्येक का 1.551 हैक्टर हिस्सा बनता है जिसका वादी हर प्रकार से मालिक व हकदार है लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 नें वादी की 1.302 हैक्टर आराजी पर नाजायज तौर से कब्जा कर लिया है। पूर्णतः असत्य होनें के कारण अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 3 से 6 नें अपना ऊपर वर्णित कृषि भूमि कभी भी कोई भी हक व परित्याग नहीं किया है वादी नें अपने वाद पत्र में यह कथन भी अंकित नहीं किया है, कि प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 नें किस दिनांक को किस वर्ष में किस स्थान पर किसके

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

समक्ष अपनें हिस्से का परित्याग किया जिससे स्पष्ट है, कि वादी नें आश्य पूर्वक प्रतिवादीगण का हिस्सा हड़पनें के आश्य से व उत्तरदातागण प्रतिवादीगण को तंग परेशान करनें के आश्य से असत्य कथन अंकित किये है। वादी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 के रकबा की आड़ में उत्तरदातागण प्रतिवादीगण के कब्जाशुद्धा रकबा पर जबरन कब्जा करना चाहता है जो कि विधि विरूद्ध है।

वाद पत्र की चरण संख्या 4 में अंकित अभिकथन पूर्णतः असत्य होनें के कारण अस्वीकार है उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण भूमि के किसी भी भाग को मुन्तकिल करनें की फिराक में नहीं है उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की भूमि पर काबिज नहीं है। एव् न ही किसी भूमि को मुन्तकिल करना चाहते है एवम् न ही किसी भूमि में भौतिक रूप से परिवर्तन करना चाहते है।

वादी नें उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण से दिनांक 15.012011 को कभी भी सम्पर्क नहीं किया है जब वादी नें उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण से दिनांक 15.01.2011 या अन्य किसी भी दिनांक को सम्पर्क ही नहीं किया तो वादी के द्वारा उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण को अपनें हिस्से की भूमि छोड़नें, बंटवारा करनें एवम् उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण के द्वारा इन्कार करनें धमकी देने कृषि भूमि का कब्जा नहीं देने कृषि भूमि को रहन बैय या अन्य किसी भी प्रकार से मुन्तकिल कर देनें उपजाऊ क्षमता को नष्ट कर देनें का कहनें का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है मात्र वादी का वाद बिना किसी वाद कारण के होनें के निरस्त किये जानें योग्य है। वादी वाद पत्र की अनुतोष मद संख्या (क)(ख)(ग) में अंकित कोई भी अनुतोष प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 7 स्टेट की और से पैरोकार राज द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 4 से 6 द्वारा किसी प्रकार से हक त्यागपत्र वाद पत्र में संलग्न नहीं है जब तक रजिस्टर्ड हक त्यागपत्र वाद पत्र में शामिल नहीं होता वादपत्र स्वीकार योग्य नहीं है। वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 द्वारा रजिस्टर्ड हक त्यागपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब तक वाद स्वीकार योग्य नहीं है

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के मध्य प्रतिवादी होनें के कारण निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. आया कि चक 10 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 12 के 6.197 हैक्टर आराजी में से 1/7 हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण का बनता है प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 के द्वारा अपनें हिस्सा की भूमि का परित्याग कर देनें से प्रत्येक का 1/4 हिस्सा बनता है वादी के कब्जा काश्त की भूमि 0.253 पर से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाया जावे ?

   – – वादी

2. आया कि उक्त विवादास्पद भूमि में प्रतिवादीगण नें कभी भी अपनें हिस्से का परित्याग नहीं किया है प्रत्येक का 1/7 हिस्सा है वादी का वाद बिना कारण प्रस्तुत होनें से काबिले खारिज है ?

   – – प्रतिवादी संख्या 1 ता 2

3. अनुतोष

तनकी संख्या 1 को सिद्ध करनें का भार वादी पर था वादी द्वारा वाद को साबित करनें के लिये कोई शपथ पत्र साक्ष्य पेश नहीं किये जानें के कारण वादी के साक्ष्य बन्द किये गये।

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

तनकी संख्या 2 को सिद्ध करनें का भार प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 पर था प्रतिवादीगण द्वारा जबाब दावा को साबित करनें के लिये अपनें साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाकर जबाबदावा के कथनों को ही दोहराया गया। जिरह में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा यह बात स्वीकार की गई कि हम तीन भाई, तीन बहनें व माता कुल सात वारिस है। हमारी तीनों बहनें सुसराल में आबाद है। हमारी बहनों नें मौखिक रूप से भूमि हमे दे रखी है। यह कहना सही है कि हमारी तीनों बहनों नें यह भूमि हमारे हक में छोड़ रखी है। बहनें अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती है इसलिये अदालत में हाजिर नहीं आई है। यह कहना भी सही है, कि भूमि नहीं लेनें के कारण जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह कहना सही है, कि लड़कियों का हिस्सा का कब्जा विक्रमजीत, साहबराम, और देवीलाल के पास है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरानें बहस उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें अपनें वाद पत्र तथा जबाबदावा को ही दोहराया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवम् बहस पर मनन करनें के उपरान्त तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है :–

तनकी नम्बर 1 को साबित करनें का भार वादी था उसके द्वारा अपनें वाद पत्र के समर्थन में कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह सिद्ध हो प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का हक त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया गया है अतः साक्ष्य के अभाव में वादी को कोई लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है। इस कारण तनकी नम्बर 1 का निर्णय वादी के विपक्ष प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

तनकी संख्या 2 को साबित करनें का भार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर था, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र के आधार पर तनकी नम्बर 2 का निर्णय वादी के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में किया जाता है।

–:: आदेश ::–

चुँकि वादी द्वारा अपनें वाद पत्र के समर्थन में कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह सिद्ध हो प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का हक त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया गया है अतः साक्ष्य के अभाव में वाद वादी वर्तमान स्तर पर काबिले खारिज होनें के कारण वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी की जावे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 18.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत महियावाली में मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर